



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 20 मार्च, 2023

थाना कोतवाली देहात

पशु चोर गिरोह के 04 शातिर सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 भैस, घटना में प्रयुक्त गाड़ी टाटा 407, अवैध चाकू आदि बरामद ।

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 19/20-03-2023 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर अड़ौली तिराहे से पशु चोर गिरोह के 04 शातिर सदस्य को चोरी की 02 भैस, घटना में प्रयुक्त गाड़ी टाटा 407, अवैध चाकू आदि सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 150/23 धारा 411/413 भादवि व 4/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. रमजानी पुत्र फतेह मौहम्मद निवासी मिर्जापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
2. रामकुमार पुत्र लाल चन्द निवासी इन्द्रगढ़ी थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
3. आमिर पुत्र मंसूर निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
4. राशिद पुत्र मंजूर खां निवासी ग्राम मिर्जापुर थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।

बरामदगी-

- 1- 02 भैस चोरी की (संबंधित मुअसं- 141/23 धारा 379 भादवि थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़)
- 2- 01 टाटा 407 गाड़ी नं०- RJ-14GG-3538 (घटना में प्रयुक्त)
- 3- 02 चाकू नाजायज

गिरफ्तार अभियुक्त रमजानी, आमिर, राशिद ने पूछताछ पर बताया कि वे अपने अन्य एक अन्य साथी के साथ मिलकर भैस चोरी करने की घटनाएं कारित करते हैं तथा चोरी की गयी भैसों को जनपद गाजियाबाद में लेजाकर राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देते हैं तथा जो पैसे मिलते हैं उन्हें आपस में बाटकर अपना खर्चा चलाते हैं। अभियुक्तों द्वारा उक्त बरामद भैसों को दिनांक 17.03.2023 को ग्राम अकबराबाद थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ से चोरी किया गया था जिसके संबंध में थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ पर मुअसं- 141/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं तथा बरामद गाड़ी टाटा 407 के बारे में बताया कि वे गाड़ी को किराये पर लेकर चलाते हैं तथा जिसका प्रयोग भैस चोरी की घटना कारित करने में करते हैं। गाड़ी को एमवी एक्ट में सीज किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों द्वारा भैस चोरी की निम्न घटनाएं कारित करने की स्वीकारोक्ति की गयी है-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 02.09.2022 को ग्राम चमुरा थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से एक भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना इगलास पर मुअसं- 494/22 धारा 382 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 04.09.2022 को ग्राम बैरंगढी थाना इगलास जनपद अलीगढ़ से एक भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना इगलास पर मुअसं- 544/22 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 15/16.02.2023 को ग्राम महमूदपुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ से एक भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना हरदुआगंज पर मुअसं- 83/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 22.02.2023 को ग्राम अलहदापुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ से दो भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना हरदुआगंज पर मुअसं- 82/23 धारा 459/380 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23.02.2023 को ग्राम हकीमगढ़ी थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ से एक भैस चोरी कर पिकअप गाड़ी नम्बर UP-21BN-1094 लेकर जा रहे थे तभी चंगैरीपुर अलीगढ़ पर पुलिस चैकिंग होने के कारण गाड़ी व भैस छोड़ कर फरार हो गये थे। जिसके संबंध में थाना हरदुआगंज पर मुअसं- 84/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 23.01.2023 को ग्राम सबदलपुर थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर से एक भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना नरसैना पर मुअसं- 20/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत हैं।

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 06.02.2023 को ग्राम अकबराबाद थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ से एक भैस चोरी की गयी थी जिसके संबंध में थाना अकबराबाद पर मुअसं- 74/23 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त रमजानी का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-149/20 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
- 2- मुअसं- 423/19 धारा 379/411 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
- 3- मुअसं- 151/20 धारा 411/414 भादवि व 102/41 सीआरपीसी थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
- 4- मुअसं- 275/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़ । .
- 5- मुअसं- 341/21 धारा 380/411/457 भादवि थाना जवां जनपद अलीगढ़ ।
- 6- मुअसं- 494/22 धारा 382 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ।
- 7- मुअसं- 544/22 धारा 379 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ।
- 8- मुअसं- 20/23 धारा 379 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।
- 9- मुअसं- 74/23 धारा 380/457 भादवि थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ ।
- 10- मुअसं- 82/23 धारा 459/380 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 11- मुअसं- 83/23 धारा 379 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 12- मुअसं- 84/23 धारा 379 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 13- मुअसं- 141/23 धारा 379 भादवि थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्त आमिर व राशिद का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं- 494/22 धारा 382 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ।
- 2- मुअसं- 544/22 धारा 379 भादवि थाना इगलास जनपद अलीगढ़ ।
- 3- मुअसं- 20/23 धारा 379 भादवि थाना नरसैना जनपद बुलन्दशहर ।
- 4- मुअसं- 74/23 धारा 380/457 भादवि थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ ।
- 5- मुअसं- 82/23 धारा 459/380 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 6- मुअसं- 83/23 धारा 379 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 7- मुअसं- 84/23 धारा 379 भादवि थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ़ ।
- 8- मुअसं- 141/23 धारा 379 भादवि थाना अकबराबाद जनपद अलीगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री जयकरन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात।
2. उ0नि0 आदेश कुमार, उ0नि0 सोवरन सिंह
3. है0का0 अनुज, है0का0 कुलदीप राठी , का0 आशीष, का0 सचिन, का0 आदेश यादव, का0 प्रवेन्द्र धामा



मीडिया सैल बुलन्दशहर